केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार
आँचलिक कार्यालय, (उत्तर)
लखनऊ - 226010
दूरभाष संख्या : 0522- 4087600 फैक्स संख्या : 0522-4087602

जेडओएल/प्रशा/111/ 595 दिनाँक 12.11.2014

निविदा आमंत्रण सूचना

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आँचलिक कार्यालय (उत्तर), लखनऊ में पुराने वाहनों- मारुती जिप्सी, एम्बेसडर कार एवं टाटा सूमो के निस्तारण हेतु निम्नानुसार निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं

Sl. No.	Make of Vehicle & No.	Model & Year of purchase	Minimum Disposal Rate (Rs.)
1.	Maruti Gypsy (DAV-3076)	Petrol - 1988	14,900/-
2.	Ambassador Car (UP 78 M – 9042)	Petrol - 1996	19,500/-
3.	Tata Sumo (UP 78 W- 4482)	Diesel - 1998	24,500/-

इस संबंध में ***नियम व शर्तें*** निम्नानुसार है-

01. निविदाएं इस कार्यालय में दिनाँक 15.12.2014 तक या इससे पूर्व पहुँच जानी चाहिए। इस अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

02. निविदाओं को लिफाफे में अच्छी तरह मुहरबंद करें तथा निविदा कमांक जेडओएल/प्रशा/111 लिफाफे के ऊपर स्पष्ट लिखा हो। निविदा को डाक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आँचलिक कार्यालय (उत्तर), पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को प्रेषित करने या कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाले जाने की सलाह दी जाती है।

03. बोर्ड एक या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निविदा खोले जाने की तिथि 16.12.2014 (अपराहन 3 बजे) को भी बिना कोई कारण बताए स्थगित किया जा सकता हैं।

04. निविदा पर सुधार या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। गलती यदि हो जाए तो उस पर हस्ताक्षर कर दिया जाए।

05. उक्त वाहन जहाँ है जैसी स्थिति में हैं, विक्रय किये जायेंगे। उपरोक्त वाहनों हेतु **उक्त वर्णित मूल्य से कम मूल्य देने वाले की निविदा स्वीकार नहीं** की जायेगी।

06. दर शब्दों एवं अक्षरों दोनों में लिखा जाए। दोनों में विषमता की स्थिति में शब्दों में लिखें दर को सही एवं अन्तिम माना जायेगा।

07. निविदा के साथ जमानत राशि रू. 3000/- प्रति वाहन का ***डी.डी*** केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पक्ष में संलग्न करना अनिवार्य है। वाहन खरीदने वाले की जमानत राशि समायोजित कर दी जायेगी तथा शेष को यथाशीघ्र वापस कर दी जायेगी।

08. निष्प्रयोज्य वाहन अधिकतम मूल्य अंकित करने वाले को विक्रय किये जायेंगे तथा पूरा मूल्य डी.डी. द्वारा एक मुश्त लिया जायेगा।

09. सफल निविदाकर्ता अपना निवास प्रमाणपत्र, पहचान पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात खरीदे गये वाहनों को अधिकतम 07 दिनों के भीतर कार्यालय परिसर से बाहर ले जाना होगा अन्यथा कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

10. खरीदे गये वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अपने नाम में स्थानान्तरित करवाना सफल निविदाकर्ता/वाहन खरीदने वाले का उत्तरदायित्व होगा।

11. उक्त वाहनों का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे के मध्य किया जा सकता है।

12. निर्धारित तिथि 15.12.2014 के उपरान्त प्राप्त किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

13. किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।

14. टाइपिंग या लिपकीय गलतियों में सुधार किया जा सकता है।

नोटः कृपया अपनी निविदा को अच्छी तरह मुहरबंद इत्यादि करके भेजें अन्यथा निविदा को निरस्त किया जा सकता है।

(पी.के.मिश्रा)
प्रभारी अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. Incharge, I.T. Division, CPCB, H.O. Delhi – With a request to upload on CPCB's website
2. कार्यालय प्रति, आँ. कार्या. लखनऊ

प्रभारी अधिकारी 12/11/14.